कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द

क्रमांक/राजस्व/ग्रा.भू.रू./2017/ 54/2017 दिनांक:-23.02.2017

-::सम्परिवर्तन आदेश::-

प्रारुप-ख

(देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)

नजर देवी सेवा ट्रस्ट जरिये सेटलर मांगीलाल पिता शंकरलाल पगारिया निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द के आवेदन पर उनकी खातेदारी में धारित कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन), नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन किया जाता है। जिनकी विशिष्टियां निम्न प्रकार है:-

01	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता/पति का सहित पुरा पता	नजर देवी सेवा ट्रस्ट जरिये सेटलर मांगीलाल पिता शंकरलाल पगारिया निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
02	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ जनजाति का सदस्य है?	नहीं
03	सम्परिवर्तन भूमि का विवरण:-	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम:-	खाखलियाखेड़ा / कुंवारिया /राजसमन्द
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षैत्रफल हेक्टेयर में।	आ0नं0 807/2 रकबा 7-10 में से 4-12 बीघा अर्थात 7446 वर्गमीटर
	(ग) संपरिवर्तन क्षैत्रफल (प्रत्येक खसरा संख्या में से उपदर्शित क्षैत्रफल हेक्टर अथवा वर्गमीटर में) टिप्पणी- अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक्रूप से सत्यापित प्रति संलग्न करें।	आ0नं0 807/2 रकबा 7-10 में से 4-12 बीघा अर्थात 7446 वर्गमीटर
04	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
05	प्रीमियम प्रीमियम की दर	डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत
06	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम	चालान सं0 45 दिनांक 09.06.2016 राशि 6070 /-भू.रू.शु. चालान संख्या 394 दिनांक 06.01.2017 राशि 64487/-भू.रू.शु. कुल राशि 70557/- 0029 मे.हे.
07	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम:-	———
08	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम:-	चालान सं0 21 दिनांक 09.06.2016 राशि 304/- 0030 मे.हे. राशि 031/- चालान सं० 98 दिनांक 06.01.2017 राशि 3224/- राशि 635/- कुल राशि 4194/-
09	क्या आदेश नियम 13 के अन्तर्गत नियमितिकरण का है?	———
10	अन्य विशिष्टियों, यदि कोई हो	
11	उपरोक्त भूमियों का संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्ययीन होगा:-	
	अ	उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
	ब	यदि आवेदक इस आदेश की जारी होने की दिनांक से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है। तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जाएगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन समपहृत हो जायेगा।
	स	नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

द	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकरण से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
य	आवेदक को रूपान्तरित भूमि पर से NIL पेड़ काटने की निम्न शर्त पर अनुमति होगी, कि वह जितने पेड़ उस भूमि में से काटेगा उसके तीन गुना सघन व छायादार पेड़ वह एक वर्ष में लगायेगा/उगायेगा । यदि शर्त को पूरा नहीं करता है तो उस पर प्रति वर्ष 500/- रू. की दर से शास्ति आरोपित की जा सकेगी, जब तक कि वह नये पेड़ नहीं लगा दे तब तक उस पर उक्त शर्त लागु रहेगी । शास्ति की राशि भू-राजस्व मद में जमा होगी।
र	प्रार्थी की रूपान्तरित भूमि ग्रामीण रास्ते के मध्य बिन्दु से 25 मीटर की दूरी पर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आबादी से 3 किलोमीटर दूरी पर है अतः प्रार्थी द्वारा ग्रामीण रास्ता/सड़क से IRC के नियमानुसार दूरी छोडकर ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
ल	निकटस्थ स्थानीय निकाय की उप विधियों में निर्माण के लिए निर्धारित मापदण्डानुसार ही निर्माण कराया जा सकेगा।
व	राजस्व विभाग के परिपत्र कमांकः प.-6(6)राज-6/92 पार्ट 23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
श	प्रार्थी द्वारा रूपान्तरित भूमि पर अब्दुल रहमान v/s सरकार के निर्णयानुसार निर्माण कार्य से प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित नहीं किया जावेगा।
ष	शासन संयुक्त सचिव राजस्व (ग्रुप-9) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र कमांकः-प. 1(1)राज-9/2012 पार्ट दिनांक 29.09.2014 के द्वारा इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों से प्रभावित भूमि का आवेदक खातेदार से सर्वप्रथम समर्पण की कार्यवाही की जावें एवं इसके उपरान्त उक्त आदेश से सम्परिवर्तन भूमि के राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही की जावें।
स	यह कि इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/ग्रा.भू.रूपा./2017/4961 दिनांक 23.02.2017 से प्रस्तावित भूमि का बिल्डिंग प्लान वास्ते अनुमोदन A.T.P. राजसमन्द को प्रेषित किया है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य किया जावे ।
ह	प्रस्तावित संस्थागत शैक्षणिक रूपान्तरित भूमि में संस्थान की स्थापना एवं संचालन से पूर्व सम्बन्धित विभाग से सहमति प्राप्त की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

क्रमांक/राजस्व/ग्रा.भू.रू./2017/ 54/2017 दिनांकः- 23.02.2017

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
2. तहसीलदार, राजसमन्द, को भेजकर लेख है कि उपरोक्त वर्णित शर्त संख्या 11 (श) अनुसार इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदंण्डों से प्रभावित भूमि का आवेदक खातेदार से सर्वप्रथम समर्पण की कार्यवाही की जावें। तत्पश्चात उक्त नियम 2007 के नियम 12 के अन्तर्गत सम्परिवर्तित भूमि के अमल संबंधी नामान्तरण व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सहित रिपोर्ट इस कार्यालय में 15 दिवस में अति आवश्यक रूप से भिजावें।
3. सचिव, ग्राम पंचायत कुंवारिया, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द।
4. नजर देवी सेवा ट्रस्ट जरिये सेटलर मांगीलाल पिता शंकरलाल पगारिया निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द।

उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

RAKBA - [illegible]
AREA FOR CONVERSION - [illegible] ([illegible] SQFT)

OWNER - NAZAR [illegible]

SETTLER - SH. MANGILAL [illegible] S/O SH.
SHANKARLAL JI PAGARIYA

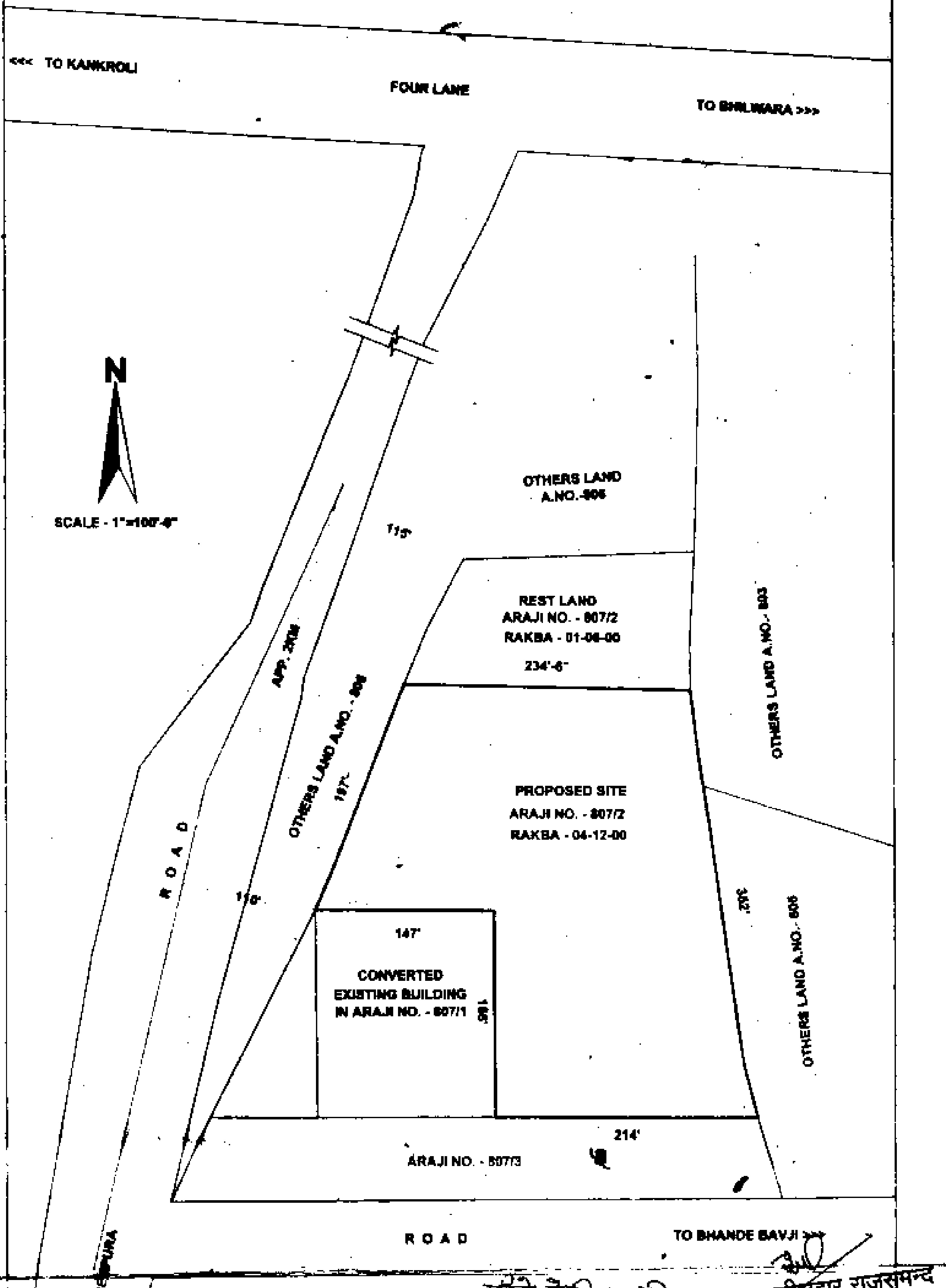

मौके से मिलान किया

तहसीलदार राजसमन्द
(राज.)

प्ररूप –घ

(देखिए नियम 10(4))

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,राजसमन्द

क्रमांक–:राजस्व / भू0रू0 / 2015 / 07/2015 दिनांक03.03.2015

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

नजर देवी सेवा ट्रस्ट, कांकरोली जरिये निदेशक सेटलर मांगीलाल पिता **शंकर लाल पगारिया** ग्राम **खाखलिया खेड़ा**, पटवार मण्डल/पंचायत **कुंवारिया** तहसील एवं जिला **राजसमन्द** के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिए सपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है:–

1.	आवेदक का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पताः–	**नजर देवी सेवा ट्रस्ट, कांकरोली जरिये निदेशक सेटलर मांगीलाल पिता शंकर लाल पगारिया ग्राम खाखलिया खेड़ा, पटवार मण्डल/पंचायत कुंवारिया तहसील एवं जिला राजसमन्द**
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है:–	**नही है।**
3.	आदेश की संख्या और तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजनः–	**आवासीय प्रजोजनार्थ तहसीलदार राजसमन्द के पत्रांक के द्वारा ग्रा0मू0रूपा0/99/14 दिनांक 10.12.2014**
4.	संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजनः–	**शैक्षणिक गतिविधी हेतु।**
5.	संपरिवर्तन भूमि का ब्योराः–	
(क).	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नामः–	**खाखलिया खेडा/कुंवारिया/राजसमन्द**
(ख).	भूमि की खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में):–	**आ0नं0 807/1 रकबा 1–10 बिघा, 2429 वर्गमीटर आवासीय से शैक्षणिक गतिविधियां।**
(ग).	प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्ग मीटर में) **(टिप्पणी :अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है?)**	**आ0नं0 807/1 रकबा 1–10 बिघा, 2429 वर्गमीटर आवासीय से शैक्षणिक गतिविधियां।**
6.	मूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर :–	**5 रूपये प्रति वर्गमीटर**
7.	मूल आवेदन के साथ जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम, चालान की संख्या और तारिख सहित	**12145/– रूपये चालान नं0– 408 दिनांक 09.12.2014 (0029भू0राजस्व) चालान नं0 89 दिनांक 09.12.2014 से राशि 470 रूपये (0030) तहसील कार्यालय में जमा।** पूर्व में।
8.	पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दरः–	**10 प्रतिशत भूमि किमत से।**
9.	चालान की संख्या और तारिख सहित, संपरिवर्तन प्रीमारी के अन्तर की जमा करायी गयी रकमः–	**चालान सं0– 733 दि0– 02/03/15 राशि– 8933/– (0029भू0राजस्व)**
10.	चालान की संख्या और तारिख सहित (0030) यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकमः–	**चालान सं0– 126 दि0– 02/03/15 राशि– 700 /– (0030)**
11.	चालान की संख्या और तारिख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकमः–	–
12.	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई होः–	

उपखण्ड अधिकारी

उप पंजीयक कुवारिया

13.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तें के अध्ययीन होगाः–	
	अ	उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा?
	ब	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी।
	स	नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
	द	औद्योपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

क्रमांक–राजस्व/भू०रू०/2015 / 07/2015

दिनांक 03.03.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
2. तहसीलदार राजसमन्द को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रेकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करावे।
3. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत कुंवारिया, पंचायत समिति राजसमन्द।
4. आवेदक नजर देवी सेवा ट्रस्ट, कांकरोली जरिये निदेशक सेटलर मांगीलाल पिता शंकर लाल पगारिया ग्राम खाखलिया खेडा, पटवार मण्डल/पंचायत कुंवारिया तहसील एवं जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

आज दिनांक 14.07.2015 को ... लेख्य पत्र ...
पुस्तक सं 01 जिल्द सं 11 के पृष्ठ संख्या 82
क्रम संख्या 1082/2015 पर ...
अतिरिक्त पुस्तक सं. 01 जिल्द सं 11 ... सं
444 से 450 ... गया

उप पंजीयक कुंवारिया